पलूस शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित,

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पलूस (सांगली)

तहसिल- पलूस, जिला- सांगली

और

रयत शिक्षण संस्था संचलित,

डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय, रामानंदनगर (बुर्ली)

तहसिल- पलूस, जिला- सांगली

इन संस्थाओं में स्थापित

समझौता ज्ञापन

2023-2024

समन्वय अनुबंध

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA ◑ 2022 ◑ 30AA 684920

दस्ताचा प्रकार/अनुच्छेद क्रमांक ... करार

दस्त नोंदणी करणार आहे का? होय / नाही

नोंदणी होणार असल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नाव दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, पलूस. ता. पलूस

रुपये १००/-

दि. ४ /10 /2023

उपकोषागार कार्यालय, पलूस जि. सांगली
सत्यमेव जयते
उपकोषागार अधिकारी, पलूस
18 SEP 2023

ज्या कारणासाठी ज्यांनी मुद्रांक खरेदी केला त्यांनी त्याच कारणासाठी मुद्रांक खरेदी केल्यापासून ६ महिन्यात वापरणे बंधनकारक आहे.

पलूस शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पलूस (सांगली) और रयत शिक्षण संस्था संचलित, डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय, रामानंदनगर (बुर्ली) के मध्य सामंजस्य करार।

पलूस शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पलूस (सांगली) हिंदी विभाग, और रयत शिक्षण संस्था संचलित, डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय, रामानंदनगर (बुर्ली) हिंदी विभाग के प्राध्यापक तथा छात्र-छात्रायों को एक-दूसरे के शैक्षिक और संशोधन परक उपक्रमों का लाभ हो इस हेतु से यह सामंजस्य करार किया जा रहा है।

ENCE COLLEGE
5
10

1. इस सामंजस्य करार के अनुसार निम्नांकित उपक्रमों का आयोजन संयुक्त तत्वावधान के रूप में किया जाएगा।

   अ) संगोष्ठी, अधिवेशन, कार्यशाला।

   आ) अध्ययन यात्रा। (स्टडी टूर)

   इ) विशेष मार्गदर्शन।

   ई) ग्रंथालय सुविधा।

   उ) निमंत्रित व्याख्यान।

2. प्रति वर्ष किमान दो बैठके होगी, जिसमें दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग प्रमुख और अध्यापक होंगे, जो वार्षिक नियोजन तथा कार्यवाही की चर्चा करेंगे।
3. कार्यक्रमों के आयोजन का खर्चा संबंधित महाविद्यालयों की ओर से किया जाएगा।
4. सामंजस्य करार में सुधार अथवा परिवर्तन दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा विभाग प्रमुख की सम्मति से किया जाएगा।
5. किसी भी पक्ष को सामंजस्य करार समाप्त करने के लिए तीन महिने पूर्व सूचना देनी पडेगी।
6. सामंजस्य करार को बढाने का निर्णय दोनों पक्ष की सहमति से तथा नवीन सामंजस्य करार कर लिया जाएगा।
7. समंजस्य करार अप्रैल 2023 से अमल में लाया जाएगा और उसका कालावधि पाँच वर्ष का रहेगा।

समझौता का कार्यान्वयन

यह समझौता 100 रूपये के स्टॅम्प पेपर पर कानूनी भाषा तथा नियमों के अधिन रहकर तीन प्रतियों में अस्तित्व में आएगी।

यह आपसी समझौता तिथि के अनुसार तथा निम्नलिखित अधिकारियों की सहमति से अस्तित्व में आ रहा है।

स्थल : रामानंदनगर (बुर्ली), पलूस

तिथि : 18/10/2023

प्रा.डॉ.सौ.एस.पी.वाघ,
हिंदी विभागाध्यक्षा,
क,वा.व वि. महाविद्यालय,
पलूस. (सांगली)

डॉ. आर.एस.साळुंखे,
प्राचार्य,
क,वा.व वि. महाविद्यालय,
पलूस. (सांगली)

डॉ. के. बी. भोसले,
हिंदी विभागाध्यक्ष,
डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालय,
रामानंदनगर (बुर्ली)

डॉ. यु. व्ही. पाटील,
प्र. प्राचार्य,
डॉ.पतंगराव कदम महाविद्यालय,
रामानंदनगर (बुर्ली)